

कार्यालय—अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,  
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail : nodalofficerddn@gmail.com

Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक— 1709 / FP/UK/ROAD/10576/2015 : देहरादून: दिनांक: 19 अप्रैल, 2021

सेवा में,

प्रभारी सचिव,  
वन अनुभाग-3,  
उत्तराखण्ड, शासन।

विषय:— जनपद—बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रावतसेरा से मानकभाड़ा मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.124 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ:— राज्य सरकार का पत्रांक 1052(1)/X-4-15/1(532)/2015 दिनांक 08.03.2015।

महोदय,

कृपया राज्य सरकार के उपर्युक्त विषयक संदर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण पर कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। उक्त के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग के पत्रांक 490 दिनांक 26-08-2017 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, जिसे निम्न प्रकार संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है :-

1. शर्त संख्या-1 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु देय धनराशि रू0 18,99,530.896 मात्र ऑनलाईन चालान के माध्यम से तदर्थ कैम्पा कोष में जमा कराया जा चुका है।
2. शर्त संख्या-3 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन0पी0वी0 की देय धनराशि रू0 27,09,468.00 मात्र ऑनलाईन चालान के माध्यम से तदर्थ कैम्पा कोष में जमा कराया जा चुका है।
3. शर्त संख्या-4 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित एन0पी0वी0 की बचनबद्धता का प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। (संलग्नक-1)
4. शर्त संख्या-5 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपरोक्तानुसार कुल जमा की गयी धनराशि रू0 46,08,998.896 मात्र के ऑनलाईन Paid रसीद की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक-2)
5. शर्त संख्या-6 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। (संलग्नक-3)
6. शर्त संख्या-7 के अनुपालन में वन अधिकार अधिनियम 2006 से सम्बन्धित अभिलेख संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। (संलग्नक-4)

अतः अनुरोध है कि विषयांकित प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

संलग्न-यथोपरि

भवदीय,  
L m i i i m i i  
(डी0जे0के0 शर्मा) 29/4/21  
प्रमुख वन संरक्षक एवं  
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या— / FP/UK/ROAD/10576/2015 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।
2. अधिशासी अभियन्ता, पीएमजीएसवाई, सिंचाई खण्ड, बागेश्वर।

(डी0जे0के0 शर्मा)  
प्रमुख वन संरक्षक एवं  
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।